सं. 14 /5/2017-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 13 सितम्बर, 2017

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: 18 सितम्बर, 2017 को आयोजित होने वाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 5वीं बैठक (2017 सीरीज) - एजेन्डा अग्रेषित कार्य के संर्दभ् में

अधोहस्ताक्षरी को दिनॉक 18 सितम्बर 2017 पूर्वाहन् को 11;30 बजे, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 5वीं बैठक 2017 सिरिज के लिये एजेंडा मदों की एक प्रतिलिपि इसके साथ अग्रेसित करने का निदेश हुआ है ।

2 कपया बैठक में भाग लेना सुनिशिचत करें ।

(जी. श्रीनिवासन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23062496
ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1.औद्योगिक एवं संवधन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (कस्टम्स)]/ डीजीईपी, वित्त मंत्रालय
3.सीबीडीटी [सदस्य (इनकम टैक्स)], वित्त मंत्रालय
4. डीजी, डीजीएफटी
5.संयुक्त सचिव,वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान मंत्रालय
7. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय
8.सभी डीसी

प्रतिलिपि: सचिव के पीएसओ/एएस(एसके) के पीपीएस/निदेशक (टीवीआर) के निजी सचिव

दिनांक 18/09/2017 को पूर्वाहन 11 (30 बजे आयोजित होने वाली ईओयू स्कीम के लिए 5वीं बीओए बैठक 2017 सीरिज हेतु एजेंडा

****

5.1(17) **दिनांक 03.07.2017 को आयोजित 4वीं बीओए 2017 सीरिज के कार्यवत की पुष्टि**

5.2 17 मैसर्स युनिक मार्मोकेम प्रा लि एमईपीजेड के तहत एक ईओयू अगले एक वर्ष के लिए एनएफई ब्लाक अवधि के विस्तार के लिए प्रस्ताव

मैसर्स यूनिक मार्मोकेम प्रा लि एक 100 ईओयू को पालिस किये गये मार्बल स्लैबों और पालिस किये गये ग्रेनाइट टाइल्स के विनिर्माण और निर्यात के लिए दिनांक 11.1.2011 को एलओपी जारी किया गया था । इकाई ने दिनांक 27.04.2012 से उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप प्रारभं किया ।

वर्ष 2012. 13 से 2016 . 17 तक की प्रथम पॉच वर्षो की ब्लाक अवधि के लिए इकाई का एनएफई नकारात्मक अर्थात (-) 3139.20 लाख रू था । इकाई ने अपनी नकारात्मक एनएफई के लिए निम्नलिखित कारण बताए है -

(i) **चूॅकि मार्बल ब्लाक नरम एवं नाजुक होते है आरी मशीन का उपयोग करते हुए उन्हें स्लैदस में काटने के दौरान टूटने की संभावना बहुत अधिक है । यह माना जाता है कि मौटे तौर पर सामग्री का 35 से 40 मार्बल ब्लाक के भंगूर प्रकति के हैं।**

(ii) **मार्बल ब्लाक, जो मुख्यत कच्ची सामग्री हैं, इकाई हेतु उत्पादन लागत के 40 से 45 का बना हैं । चूॅकि सभी कच्ची सामग्री विदेश से आयात की जाती है, उत्पादन की लागत काफी उॅची होती है ।**

(iii) **मार्बल के लिये वैशिवक बाजार हाल ही में मदा हो गया है । इसके अलावा, ब्राजील, नोर्वे और इसी तरह के अन्य देशों से भारत प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है जिनके पास खदान और प्रसंस्करण सूविधाएॅ हैं।**

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान: एफटीपी 2015-20 के पैरा 6.04 के अनुसार,जब कभी इकाई विपरीत बाजार परिस्थिति अथवा इकाई के कामकाज पर विपरित प्रभाव डालने वाले वास्तविक कठिनाई के किसी आधार की वजह से एनएफई प्राप्त करने हेतु पॉच वर्ष की ब्लाक अवधि को, मामला दर मामला आधार पर, एक वर्ष तक की अवधि के लिए बीओए द्वारा विस्तारित किया जा सकता है ।

डीसी की सिफारिश ----ईओयू द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, डीसी ने सिफारिश की है कि ईनएफई प्राप्त करने हेतू इकाई के अनुरोध को 26.04.2018 तक दूसरे एक वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।

5.3 (17) **मैसर्स सोबिका इम्पेक्स प्रा लि, करूर, इमईपीजड के तहत एक ईओयू अनुबंध- I से एलयूटी तक अतिरिक्त छूट प्राप्त सामग्रियों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव**

मैसर्स सोबिका इम्पेक्स प्रा लि को लंबे समय तक चलने के लिए कीटनाशक एचडीपीई मच्छर वाली बिस्तर जाली, एडिटिव मास्टर बैच, अल्फासाइफरमेथ्रिन, लबं समय तक चलने वाली कीटनाशक एचडीपीई मच्छर वाली बिस्तर जाली के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए दिनॉक 08.04.2010 को एलओपी जारी किया गया था।
इकाई ने अपने प्रथम पॉच वर्ष के ब्लाक के दौरान 41285.34 लाख रू. का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया। उन्होंने दूसरी पॉच वर्षीय ब्लाक के लिए 2,07,561.00 लाख रू. के एनएफईई का अनुमान लगाया।

इकाई ने छूट प्राप्त सामग्रियों की सूची में लिफ्ट एवं एलिवेटर का आयात करने/खरीद करने का अनुरोध किया है। एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.04 (क)- (ड.) में निर्धारित मदों की सूची में उपरोक्त मदें उल्लेखित नहीं है।
एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान : एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.04 (च) के अनुसार, एचबीपी के पैरा 6.04 (क)-(ड.) में उल्लेख नहीं कया गया किसी अन्य मद को, बीओए द्‌वारा अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।
डीएल की सिफारिश : डीसी ने सिफारिश की है लिफ्ट एवं एलिवेटर के आयात/खरीद के लिए इकाई के अनुमोदन की सिफारिशि की है।

5.4(17) मैसर्स जीई इण्डिया इण्डस्ट्रियल प्राईवेट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत एक ईओयू- अन्य ईओयू के साथ सामान्य शेयरिंग सुविधाओं के लिए प्रस्ताव

मैसर्स जीई इण्डिया इण्डस्ट्रियल प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स जीई इण्डिया टेक्नोलोजी सेंटर प्राईवेट लिमिटेड) इंजीनियरिंग सेवाओं का निर्यात, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवाओं, अंत:विषय हेतु प्रोटोटाइपों का विकास, कर्मियों को नौकरी दिलाना तथा आपूर्ति सेवा, व्यवसाय समर्थन सेवाएँ, विधिक सेवाएँ तथा आर एंड डी से संबंधित प्रबंधन परामर्शी सेवाओं के लिए उसके दिनॉक 02.08.1999 (जैसा विस्तार किया गया है) के संशोधनों का एलओपी का अधिकार रखता है। इकाई ने 23.03.2000 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया

मैसर्स जीई इण्डिया इण्डस्ट्रियल प्राईवेट लिमिटेड के पास प्रबंधन परामर्शी सेवाओं के निर्यात के लिए दिनॉक 24.06.2016 को एलओपी है।

मैसर्स जीई इण्डिया इण्डस्ट्रियल प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स जीई इण्डिया टेक्नोलोजी सेंटर प्राईवेट लिमिटेड) ने दिनॉक 06.04.2017 के पत्र के जरिये एलटी पैनल्स, सर्किट ब्रेकर, पूपीएस आउटपुट पैनल्स जैसी आम सुविधाएँ साझा करने के लिए अनुमति मॉगी है, चूँकि दोनों कम्पनी एक ही कैम्पस में संचालित की जा रही हैं और अवसंरचना उपयोग में सुधार ला रही हैं।

इस संदर्भ में इकाई 4,77,80,791/-रू की कुल कीमत के आयात एसेट तथा मैसर्स जीई इण्डिया इण्डस्ट्रियल प्राईवेट लिमिटेड के साथ 28,971,589/-रू (अनुबंध-II के अनुसार) के बराबर माफ की गयी शुल्क के अनुसार संपत्तियों की संलग्न सूची साझा करना चाहती है।

इकाई ने इसकी भी पुष्टि की कि उनकी इकाईयों के बीच एनएफई दायित्य बदली नहीं जाएगी। तदनुसार दिनॉक 18.05.2017 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति के साथ मामले को उठाया गया था और विचार विमर्श के बाद, समिति ने सिफारिश की और विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के पैरा 6.12 (छ) के अनुसार विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड, नई दिल्ली के लिए मामले को सौंपने का निर्णय लिया।

विगत 5 वर्षों के लिए इकाई का कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष	कुल निर्यात
2010-11 -	**67618.66 लाख रू.**
2011-12 -	**76714.90 लाख रू.**
2012-13 -	**86049.60 लाख रू.**
2013-14 -	**79981.35 लाख रू.**
2014-15 -	**96306.74 लाख रू.**
2015-16 -	**114393.766 लाख रू.**

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान : एफटीपी 2015-20 के पैरा 6.12 (छ) के अनुसार

" इकाई अनुमोदन समिति ईओयू के बीच अवसंरचनात्मक सुविधाओं को साझा करने के लिए अनुरोध मामला - दर - मामला आधार पर विचार कर सकती है और यह अनुमोदन बोर्ड को इसके विचारार्थ अपनी सिफारिश पर अग्रेषित कर सकता है। ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करते समय, इाकई की एनएफई दायित्व परिवर्तित नहीं की जाएगी। ऐसी सुविधाएँ आईएमएससी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ईएचटीपी/एसटीपी में इकाईयों को उपलब्ध होंगी। तथापि, ईओयू एवं एसईजेड इकाईयों के बीच सुविधाओं को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।'

डीसी की सिफारिश : डीसी और अनुमोदन समिति, सीएसईजेड ने अन्य ईओयू के साथ आम सुविधाओं को साझा करने के लिए इाकई के अनुरोध की सिफारिश की है।

5.5 (17) मैसर्स पनामा पेट्रोकेम लि.-डीटीए इकाई से ईओयू में रूपान्तरण करने हेतु प्रस्ताव।

मैसर्स पनामा पेट्रोकेम लि. ने एमआईडीसी इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रायगढ़ में सफेद तेल (एलएलपी एवं एचपीएल), पेट्रोलियम जेली, इण्डस्ट्रियल आयल्स और लुब्रिकेन्ट आयल्स के विनिर्माण और निर्यात के लिए मैजुदा डीटीए इकाई के एक ईओयू में रूपान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। डीटीए इकाई अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के दायित्व के अधीन है।

मौजूदा निर्यात निष्पादन

वर्ष	निर्यात (करोड़ रू.में)
2013-14	202.23
2014-15	281.03
2015-16	233.25

संयंत्र एवं मशीनरी में मौजूदा निवेश 630 लाख रू. है और प्रस्तावित निवेश 740 लाख रू. है। पॉच वर्षों में अनुमानित एनएफई कमाई 391.58 करोड़ रू. है।

सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, न्यु पनवेल (डब्ल्यू) ने प्रस्तावित फैक्टरी परिसरों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सूचित किया कि प्रस्तावित फैक्टरी परिसर एमआईडीसी के साथ 95 वर्षो की अवधि के लिए पट्टा आधार पर है। प्रस्तावित योजना/परिसर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क प्राधिकारी के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है।

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान: एफटीपी, 2015-2020 के पैरा 6.07 (घ) में प्रावधान है कि संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रू. या अधिक का निवेश वाले अथवा सालाना 50 करोड़ रू. और अधिक के निर्यात वाले मौजूदा डीटीए इकाईयों से एक ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी में रूपान्तरण के लिए आवेदनों को निर्णय हेतु बीओए के समक्ष रखा जाएगा।
डीटीए इकाई का ईओयू में रूपान्तरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जहॉ अग्रिम प्राधिकरण ऋणमुक्ति हेतु लंबित है, एफटीपी 2015-20 के परिशिष्ट 6एम में परिभाषित किया गया है। बीओए द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने के मामले में, यह उसमें विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन होगा।

डीसी की सिफारिश : डीसी ने मौजूदा डीटीए इकाई के ईओयू में रूपान्तरण के लिए इकाई के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

भाग II

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

क	जून, 2017 से अगस्त, 2017 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन दिए गए	वीएसईजेड